

कारोबार आसान बनाने को 23 क्षेत्रों के नियम होंगे सरल

डीरेगुलेशन 2.0 : यूपी में उद्योगों के लिए कानून और प्रक्रियाओं में बड़ा सरलीकरण

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। उद्योगों के लिए नियमों, अनुमतियों और अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने डीरेगुलेशन 2.0 अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश को 23 अनिवार्य और पांच वैकल्पिक क्षेत्रों में सुधारों की कार्ययोजना तैयार कर 30 जुलाई तक केंद्र को रिपोर्ट भेजनी है। लक्ष्य उद्योगों को मंजूरी प्रक्रिया तेज करना, पुराने और अप्रासंगिक नियम खत्म करना, निरीक्षण व्यवस्था सरल बनाना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, बिजली, उपयोगिताएं, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार समेत 23 प्राथमिक क्षेत्रों में बदलाव किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन सुधारों की

30 जुलाई तक भेजनी है रिपोर्ट, 23 में से 10 प्राथमिक सुधार पूरी तरह लागू

जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंप दी है। इनमें शिक्षा विभाग को सबसे अधिक छह, इन्वेस्ट यूपी को पांच, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को दो-दो क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा श्रम, विधिक माप विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी पावर कॉर्पोरेशन, अग्निशमन, एमएसएमई, राजस्व परिषद, चिकित्सा, पर्यावरण, पर्यटन और नगर विकास विभाग भी सुधार लागू करेंगे।

23 में से 10 प्राथमिक सुधार पूरी तरह लागू हो चुके हैं। सात सुधार आंशिक रूप से लागू हैं, जबकि छह पर काम जारी है या निर्णय होना बाकी है।

माप-तौल विभाग के नियम होंगे आसान

माप-तौल विभाग के कई पुराने और जटिल नियमों को सरल बनाने की तैयारी है। सरकार लाइसेंस की जगह पंजीकरण व्यवस्था लागू करने, मरम्मत के लिए अलग अनुमति की जरूरत खत्म करने और निरीक्षण को जोखिम के आधार पर करने पर विचार कर रही है। इससे कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और कारोबार करना आसान होगा। इसके लिए माप-तौल अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाएगा।

पांच वैकल्पिक सुधारों में से तीन लागू हो चुके हैं और दो पर कार्य चल रहा है।

डीरेगुलेशन-2.0, पहले चरण का विस्तार है। डीरेगुलेशन-1.0 में उत्तर प्रदेश ने सभी 23 प्राथमिक सुधार लागू कर कैबिनेट सचिवालय की रैंकिंग में देश में पहला स्थान हासिल किया था। प्रदेश को अनुपालन में कमी, निरीक्षण व्यवस्था के सरलीकरण, सेवाओं के डिजिटलीकरण और उद्योगों के लिए

मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सर्वोच्च रैंक मिली थी।

शुक्रवार को केंद्र की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टीम ने मुख्य सचिव एसपी गोयल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीरेगुलेशन-2.0 का रोडमैप साझा किया। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैंबर सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया।